International Environmental
Law Research Centre

Uttar Pradesh State Tube-Wells Act, 1936

This document is available at ielrc.org/content/e3602.pdf

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

परिशिष्ट 2

संयुक्त प्रान्त
राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936[1]
[The U. P. State Tube-Wells Act, 1936]

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 12 सन् 1936][2]

गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया (एडेप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत एवं एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

राजकीय नलकूप सिंचाई निर्माण-कार्यों के निर्माण, सुधार तथा अनुरक्षण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

प्रस्तावना—चूँकि यह इष्टकर है कि सरकार द्वारा राजकीय नलकूप सिंचाई निर्माण-कार्यों के निर्माण, सुधार तथा अनुरक्षण की व्यवस्था की जाए;

और चूँकि इस अधिनियम को पारित करने के लिए गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट की धारा 80-क की उपधारा (3) के अधीन गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएँ
3. *[निकाल दिया गया]*
4. नलकूप अधिकारियों की नियुक्ति
5. संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1920 का राजकीय नलकूपों पर लागू न होना
6. अधिनियम संख्या 8 सन् 1873 का राजकीय नलकूपों पर लागू होना
7. भूमिगत नलों, इत्यादि के निर्माण करने की शक्ति
8. भूमि के स्वामी या कब्जेदार को नोटिस
9. नियम बनाने की शक्ति

अनुसूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936 कहलाएगा।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 17 अक्टूबर, 1936 का असाधारण गजट *देखिए*
2. गवर्नर ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1936 तथा गवर्नर जनरल ने दिनांक 20 फरवरी, 1937 को स्वीकृति प्रदान की तथा गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1919 की धारा 81 के अधीन गजट, 1937, भाग 7, पृष्ठ 7-8, में दिनांक 6 मार्च, 1937 को प्रकाशित हुआ

(2) [1][***] इसका विस्तार[2] सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

[3][(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।]

2. परिभाषाएँ—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(1) *"नलकूप"* का तात्पर्य किसी भी ऐसे नलकूप से है जिसमें से मानव या पशु शक्ति से भिन्न किसी अन्य प्रकार से चलने वाले पम्प द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता हो;

(2) *"राजकीय नलकूप"* का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित नलकूप से है और इसमें ऐसे समस्त यांत्रिक तथा विद्युत उपकरण, औजार और निर्माण सम्मिलित हैं जो उससे सम्बद्ध हों और उससे पानी निकालने के लिए आवश्यक हों;

(3) *"नलकूप अधिकारी"* का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे धारा 4 के अधीन एक या अधिक राजकीय नलकूपों पर नियंत्रण रखने या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

"अधीक्षण अभियन्ता" का तात्पर्य एक या अधिक नलकूप प्रभागों के मण्डल पर सामान्य नियंत्रण रखने वाले किसी नलकूप अधिकारी से है;

"प्रभागीय अधिकारी" का तात्पर्य एक या अधिक नलकूप उप-प्रभागों के प्रभाग पर नियंत्रण रखने वाले नलकूप अधिकारी से है;

"उप-प्रभागीय अधिकारी" का तात्पर्य नलकूप उप-प्रभाग के रूप में नामोद्दिष्ट किसी क्षेत्र के भीतर स्थित राजकीय नलकूपों के किसी समूह पर नियंत्रण रखने वाले नलकूप अधिकारी से है।

3. [4][* * *]

4. नलकूप अधिकारियों की नियुक्ति—राज्य सरकार नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 द्वारा, जैसाकि वह राजकीय नलकूपों पर एतत्पश्चात् व्यवस्था के अनुसार लागू है, नलकूप अधिकारियों को प्रदत्त या उन पर आरोपित सभी या किन्हीं अधिकारों तथा कर्तव्यों का, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिनका वह निदेश करे, प्रयोग तथा पालन करने के लिए समय-समय पर अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

---

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1954 की धारा 2 (1) द्वारा निकाला गया
2. यह अधिनियम निम्न तालिका के स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति (यदि कोई है) के अधीन, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियमों अथवा आदेशों के अन्तर्गत उन क्षेत्र में प्रसारित किया गया है, जिनका उल्लेख स्तम्भ 1 में किया गया है :

क्षेत्र	*अधिनियम अथवा आदेश जिनके अन्तर्गत प्रसारित किए गए*	*विज्ञप्ति, यदि कोई है, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया*	*तिथि जिससे प्रभावी किया गया*
1	2	3	4
(1) जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950	285/17-345-49, दिनांक 8 मार्च, 1952	15 मार्च, 1952
(2) जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949		
(3) जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949		

3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1954 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित
4. उ० प्र० अधिनियम सं० 4 सन् 1954 की धारा 3 द्वारा निकाला गया

5. संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1920 का राजकीय नलकूपों पर लागू न होना—संयुक्त प्रान्त लघु सिंचाई निर्माण-कार्य अधिनियम, 1920[1] के उपबन्ध राजकीय नलकूपों पर लागू नहीं होंगे।

6. अधिनियम संख्या 8 सन् 1873 का राजकीय नलकूपों पर लागू होना—किसी राजकीय नलकूप के सम्बन्ध में नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873* की धारा 1, धारा 3 के खण्ड (4) तथा (7), धारा 4, धारा 5 और उसके भाग 6 तथा 7 के उपबन्धों को छोड़ कर उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्ध उसी प्रकार लागू समझे जाएंगे मानो ऐसे राजकीय नलकूप उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत कोई नहर हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अधिनियम के लागू होने में उक्त अधिनियम में ''कैनाल आफिसर'' (उक्त अधिनियम की धारा 27 में छोड़कर), ''सुपरिन्टेन्डिंग कैनाल आफिसर'', ''डिवीजनल कैनाल आफिसर'' या ''सब-डिवीजनल कैनाल आफिसर'' के प्रति प्रत्येक निर्देश क्रमशः ''नलकूप अधिकारी'', ''अधीक्षण अभियन्ता'', ''प्रभागीय अधिकारी'' या ''उप-प्रभागीय अधिकारी'' के प्रति किया गया निर्देश समझा जाएगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे लागू होने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम अनुसूची में निदर्शित परिष्कारों के अधीन होगा।

[2][**7. भूमिगत नलों, इत्यादि के निर्माण करने की शक्ति**—कोई ट्यूबवेल अधिकारी या ट्यूबवेल आफिसर के साधारण या विशेष आदेश के अधीन कार्यकारी व्यक्ति समय-समय पर—

(क) किसी ट्यूबवेल नल (नाबदान के भीतर, नलिका ढांचे में, उत्कर्षित बन्द स्थान और आगे जाने के मार्ग को सम्मिलित करते हुए), ट्यूबवेल कच्चा गूल, बरहा और मिट्टी के भीतर, नीचे, ऊपर, एक छोर से दूसरी छोर तक, तिरछा गड्ढा, किसी अचल सम्पत्ति में या उसके ऊपर रख सकेगा, खोद सकेगा, जाँच-पड़ताल कर सकेगा, मरम्मत कर सकेगा, परिवर्तन कर सकेगा, अनुरक्षण कर सकेगा या किसी ट्यूबवेल नल को हटा सकेगा और मिट्टी को चूर-चूर कर सकेगा या खोद सकेगा; और

(ख) किसी समय ऐसी सम्पत्ति पर ऐसे किसी प्रयोजन के लिए कार्य आरम्भ कर सकेगा।

8. भूमि के स्वामी या कब्जेदार को नोटिस—(1) ऐसे किसी कार्य को, जैसाकि इस धारा में संदर्भित है, जब तक कि सम्पत्ति के स्वामी या कब्जेदार को कम से कम अड़तालिस घंटे की कार्य प्रारम्भ करने की पूर्व लिखित नोटिस नहीं दी गई हो, कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसे स्वामी या कब्जेदार को अधिकार होगा कि कार्य के कार्यान्वयन के समय उपस्थित रहे।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन के प्रयोग में, किसी भूमि की मिट्टी को खोलता या खोदता है, वह सभी युक्तियुक्त शीघ्रता से, भूमि को भर देगा और पुनः पुरानी स्थिति में ला देगा और खुदी हुई या चूर-चूर की गई मिट्टी की क्षतिपूर्ति करेगा।

(3) ट्यूबवेल अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सम्पत्ति को जितना कम से कम सम्भव हो सके, नुकसान पहुँचाएगा और नियत रीति से उसके द्वारा किए गए नुकसान के लिए ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या कब्जेदार को प्रतिकर अदा करेगा।

9. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियमों के क्रियान्वयन के लिए, नियम बना सकती है।]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4, 1954 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित

* कृपया इस अधिनियम के लिए इसी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 501 *देखिए*

2. उ० प्र० अधिनियम सं० 21 सन् 1980 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित

अनुसूची

(धारा 6 में निर्देशित)

नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 (जिसे एतत्पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) में परिष्कार

[1][1. उक्त अधिनियम की धारा 6 में शब्द "day so named" के स्थान पर शब्द "commencement of the U. P. State Tube-well Act, 1936" रखे गए समझे जाएंगे तथा शब्द "such application or use of the said water" के स्थान पर शब्द "the application or use of under ground water for the purpose of a State Tube-well" रखे गए समझे जाएंगे।]

2. उक्त अधिनियम की धारा 8 में खण्ड (ए) तथा (सी) और खण्ड (आई) में उनका निर्देश निकाल दिया गया समझा जाएगा, और खण्ड (जी) में शब्द "through any natural channel which has been used for purposes of irrigation" के स्थान पर शब्द "in any well which has been used" रखे गए समझे जाएंगे और अंतिम परिच्छेद में पद "clauses (*a*), (*b*) and (*c*)" के स्थान पर पद "clause (*b*)" रखा गया समझा जाएगा।

3. उक्त अधिनियम की धारा 27 में शब्द "Canal Officer" के स्थान पर शब्द "Divisional Officer" रखे गए समझे जाएंगे।

4. (1) उक्त अधिनियम की धारा 32 के खण्ड (ए) के उपखण्ड (1) में शब्द "and with the previous sanction of the State Government" निकाल दिए गए समझे जाएंगे।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 32 का खण्ड (डी) निकाल दिया गया समझा जाएगा।

5. धारा 68 में, शब्द "such officer shall thereupon give notice" के स्थान पर शब्द "on receipt of such application or when in the opinion of Divisional Officer such difference is likely to arise he shall give notice" रखे गए समझे जाएंगे।

6. धारा 70 के खण्ड (2) में शब्द "interferes" के पूर्व शब्द "except by the construction of tube-well" बढ़ाए गए समझे जाएंगे और उक्त धारा के खण्ड (6) से (9) तक निकाल दिए गए समझे जाएंगे।

———

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 4 सन् 1954 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित